UPST010023092026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, सुलतानपुर।

उपस्थितः निशा सिंह, एच0जे0एस0

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–696 / 2026

राममूर्ति सुत जोखू,

निवासी ग्राम हसरमपुर, थाना गौरीगंज जनपद अमेठी। ————————**प्रार्थी / अभियुक्त**

बनाम

राज्य .....विपक्षी / अभियोगी

मु0अ0सं0–531 / 1996,
धारा–457, 380, 411 भा०द०सं०
थाना–गौरीगंज, जनपद अमेठी।

दिनांक–25.03.2026

प्रार्थी / अभियुक्त राममूर्ति की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

2– प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय में दिया जा रहा है इस जमानत प्रार्थनापत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद खण्ड पीठ लखनऊ में न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है। उक्त अपराध संख्या में प्रार्थी अभियुक्त की पूर्व में जमानत हो चुकी थी। उक्त पत्रावली विचारण हेतु गतिमान थी। प्रार्थी की अनुपस्थिति के कारण माननीय विचारण न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिया गया जिसकी वजह से प्रार्थी जिला कारागार सुलातनपुर में निरूद्ध है जिसके बाबत प्रार्थी ने विचारण न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र दिया दिनांक 09.03.2026 को न्यायालय कक्ष संख्या 23, जनपद सुलतानपुर के न्यायालय दिया था जो कि विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी है। प्रार्थी एक सीधा साधा मजदूर पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी के ऊपर लगायी गयी धारांए श्रीमानजी द्वारा जमानतीय एंव विचारणीय है। प्रार्थी की जमानत माननीय न्यायालय से स्वीकृत होने के उपरान्त न तो कहीं भागेगा और न ही गवाहान सबूत पर कोई कुप्रभाव ही डालेगा। प्रार्थी के जेल मे निरूद्ध रहने से प्रार्थी के परिवार वाले दाने दाने को मोहताज है। अतः प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3— विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

4— सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5— पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी प्रस्तुत मामले में अभियुक्त है तथा उक्त मुकदमें में अभियुक्त राममूर्ति की जमानत दिनांक 14.01.1997 को स्वीकृत की जा चुकी है किन्तु अभियुक्त की लगातार अनुपस्थिति के कारण मुकदमें में नियत तिथि 23.05.2022 को न्यायालय उपस्थित न आने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिया गया। न्यायालय द्वारा जारी एन0बी0डब्लू0 के निष्पादन में अभियुक्त को थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा जारी एन0बी0डब्लू0 के निष्पादन में अभियुक्त का वारण्ट दिनांक 08.03.2026 को बनाकर उसे जिला कारागर भेजा गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2026 को अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त राममूर्ति का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **मु0 50,000/— (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा उसी धनराशि की दो प्रतिभू व इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है कि—

1— अभियुक्त दौरान विचारण न्यायालय का सहयोग करेगा।

2— अभियुक्त गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।

3— अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

(निशा सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या—03, सुलतानपुर।
J.O. Code- U.P. 6321

दिनांक 25—03—2026 ई0
Hari Sharan Sahu
(Steno)

Digitally signed by NISHA SINGH
Date: 2026.03.28 11:54:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court